



प्रेस नोट

भारत में निवास कर रहे 6 अवैध बांग्लादेशी उ.प्र. एटीएस द्वारा गिरफ्तार, जाली दस्तावेजों के आधार पर बनवाते थे पासपोर्ट

दिनांक : 27 मई, 2019

उत्तर प्रदेश एटीएस को विगत कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ बांग्लादेशी अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और वह अन्य अवैध प्रवासियों को भी बांग्लादेश से बुलाते हैं और भारत में उनके फर्जी दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाकर दे देते हैं जिनके आधार पर वे अवैध प्रवासी अपना फर्जी पासपोर्ट तक बनवा लेते हैं। इस सूचना को विकसित करने के क्रम में कल दिनांक 26 मई को 6 संदिग्धों को आगरा रेलवे स्टेशन से पकड़ कर पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि वे सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं जो भारत में फर्जी कागजातों के आधार पर अवैध रूप से निवास कर रहे हैं।

उक्त सभी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को उ.प्र. एटीएस द्वारा अभियोग दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा और अग्रिम पूछताछ की जाएगी।

इनके डाटा एनालिसिस से ज्ञात हुआ कि ये राजस्थान और पंजाब के पकिस्तान बॉर्डर तक इनका मूवमेंट था। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान जाने के लिए इन्होंने तार-बाड़ पार करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। पकिस्तान स्थित इनके सहयोगियों ने इलेक्ट्रिक टेस्टर लेकर बिजली चेक कर प्रवेश करने को कहा था। इनके सामान में 4 टेस्टर भी बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. हबीबुर रहमान पुत्र वहाब अली, निवासी- मंझपुरा, पो-बीरमोहन, थाना-कलकेनी, जिला-मदारीपुर, बांग्लादेश, उम्र-60 वर्ष
2. जाकिर हुसैन उर्फ रोमी पुत्र दुलाल, निवासी-ग्राम-अराईहजर, पोस्ट-बलियापाड़ा, थाना-रूपगंज, जनपद-नारायणगंज, बांग्लादेश
3. मो. काबिल पुत्र अब्दुल सुभान, निवासी-बसनेया, थाना-खानसामा, जनपद-खानसामा, बांग्लादेश
4. कमालुद्दीन पुत्र जमशेद अली, निवासी-उसमानी नगर, जनपद-सिलेट, बांग्लादेश
5. ताईजुल इस्लाम पुत्र कालू मियां, निवासी : ग्राम-पुरुरा, पोस्ट-पुरुरा, थाना-भालूका, जनपद-माइमान सिंह, बांग्लादेश
6. लिटोन विश्वास उर्फ लिटन मियां पुत्र मुबीश आलम, निवासी : ग्राम-बिलासपुर, थाना व पोस्ट-जोयदीप पुर, जिला- गाजीपुर, बांग्लादेश

बरामदगी

1. मोबाइल फ़ोन - 7 अदद
2. सिमकार्ड - 9 सिमकार्ड

3. आधार कार्ड - 6 अदद
4. इलेक्ट्रिक टेस्टर - 4 अदद
5. नकद भारतीय मुद्रा 37637 रूपये
6. बांग्लादेश और पाकिस्तान के नम्बर लिखी पर्चियां
7. रेलवे टिकट्स
8. मेमोरी कार्ड्स

अग्रिम पूछताछ के बिन्दु :

- बांग्लादेश से भारत कब आये ?
- आधार कार्ड और पासपोर्ट कैसे बनवाया ?
- भारत में उनके सहायक कौन-कौन हैं ?
- पकिस्तान बॉर्डर तक क्यों गए ?

गिरफ्तारी करने वाली टीम

निरीक्षक श्री मंजीत सिंह , निरीक्षक श्री अलोक कुमार सिंह, निरीक्षक श्री सुशांत गौर, मुख्य आरक्षी निर्भाल सिंह, आरक्षी विनय कुमार, आरक्षी मनोज कुमार, आरक्षी सुनीत कुमार, आरक्षी रविकांत, आरक्षी मनोज यादव, आरक्षी चमनजीत, आरक्षी अजेन्द्र, आरक्षी विपिन मावी, आरक्षी प्रवीण, आरक्षी संजय सिंह एवं आरक्षी जयदीप सिंह



~असीम अरुण
ADG UP ATS.



अभियुक्तों के हाई रेजोल्यूशन फोटो के लिए यहाँ क्लिक करें :

<https://drive.google.com/open?id=1HSy4RNR5SBSQjWXXxCbMmpmQmq1x86Vb>